43

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1994 (चैत्र 15, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोहनलाल चौधरी, पशुपालन मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेरी विकास निगम मर्यादित, भोपाल के वर्ष 1983-84 से वर्ष 1991-92 तक के समापक के लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले में जे.पी. सीमेंट कारखाने के प्रबंधकों द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से पेयजल स्तर गिरने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवलाल दुग्गा, विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, बस्तर में सल्फी के वृक्ष अज्ञात बीमारी से नष्ट होने के संबंध में राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, भोपाल के संजय नगर के पीछे की झुग्गियों में नल की व्यवस्था,

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के द्वारका नगर के मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में परिवर्तित करने,

(3) डॉ. चेतन सिंह वर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले के कुसमी खुडमुडी मार्ग के मध्य लोर नाला पर पुल निर्माण किये जाने,

(4) श्री प्यारेलाल बेलचन्दन, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम संजारी एवं बर्रापारा की खरखरा नदी पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,

(5) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य -

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग कटनी सीमान्तर्गत बायपास रोड का निर्माण किये जाने, तथा

(ख) जबलपुर जिले के विकासखंड-रीठी में शासकीय महाविद्यालय खोलने,

(6) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य -

(क) राजनांदगांव जिले के ग्राम महाराजपुर में हाईस्कूल खोलने, तथा
(ख) राजनांदगांव जिले के ग्राम महाराजपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने,

(7) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य -

(क) देवास जिले के ग्राम सिरसोदिया में पानी की समस्या का निदान, तथा
(ख) देवास जिले के ग्राम सिरसोदिया से जाने वाले पहुंच मार्ग का निर्माण,

(8) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य -

(क) रीवा जिले के ग्राम कोनी से कुरैली तक विद्युतीकरण करने, तथा
(ख) रीवा जिले के ग्राम हरदहन से बैलिया तक सड़क निर्माण,

(9) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य -

(क) बालाघाट जिले के ग्राम घोटी से सुलसुली तक सड़क एवं पुल का निर्माण,
(ख) बालाघाट जिले के ग्राम घोटी के शासकीय माध्यमिक शाला भवन की मरम्मत, तथा
(ग) बालाघाट जिले के विकासखंड लांजी में शासकीय मिडिल कन्या शाला भवन का निर्माण,

(10) श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सदस्य -

(क) भोपाल के ग्राम हिनौतिया चांदबड में मिडिल स्कूल खोलने,
(ख) भोपाल के टीला जमालपुरा में पानी की व्यवस्था, तथा
(ग) भोपाल शहर में नई सीवेज लाइन डालने,

(11) श्री छतराम देवांगन, सदस्य -

(क) बिलासपुर जिले के ग्राम बुडगहन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ किये जाने, तथा
(ख) बिलासपुर जिले के ग्राम बलौदा से बुडगहन तक सड़क का डामरीकरण करने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. विश्वविद्यालयों की सभाओं (कोर्ट) के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री मुकेश नायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये उसके सामने अंकित सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो :-

(1) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	आठ सदस्य
(2) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	आठ सदस्य
(3) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	आठ सदस्य
(4) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	आठ सदस्य

6. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा (1) के पद (पन्द्रह) की अपेक्षानुसार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

7. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री सुभाष यादव, उपमुख्य मंत्री, कृषि निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

8. भूमि सुधार मण्डल के लिये चार सदस्यों का निर्वाचन

श्री सुभाष यादव, उपमुख्य मंत्री, कृषि निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण मध्यप्रदेश भूमि सुधार योजना अधिनियम 1967 (क्रमांक 13 सन् 1967) की धारा 3 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में मध्यप्रदेश भूमि सुधार मण्डल के लिये अपने में से चार सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

9. उद्योगों को राज्य सहायता समिति के लिये पांच सदस्यों का निर्वाचन

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज एक्ट, 1958 की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज के लिये गठित होने वाली समिति के लिये राज्य विधानसभा के सदस्यों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

-3-